BSPHCL

आर0आर0एफ0 पंजीकरण सूचना

वर्तमान में राज्य के दोनों वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल रेभेन्यु फ्रेन्चाईजी एवं बिलिंग एजेन्सी के माध्यम से वेब बेस्ड मोबाइल एप आधारित स्पॉट बिलिंग द्वारा विद्युत विपत्रीकरण एवं ई–वैलेट द्वारा राजस्व वसूली का कार्य कराया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य के दानों वितरण कम्पनियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.04.2020 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल रेभेन्यु फ्रेन्चाईजी के माध्यम से हीं विद्युत विपत्रीकरण एवं राजस्व वसूली का कार्य कराया जायेगा।

तद्‌दनुसार सम्बन्धित जिला के इच्छुक व्यक्ति जो इन्टर उतीर्ण हैं, दोनों वितरण कम्पनियों के कुल 96 विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध) के अन्तर्गत पड़ने वाले कुल 4240 ग्राम पंचायतो (2046 ग्राम पंचायत ना0बि0पा0डि0कं0लि0 के क्षेत्राधीन एवं 2194 ग्राम पंचायत सा0बि0पा0डि0कं0लि0 के क्षेत्राधीन) में से किसी भी एक पंचायत में रूरल रेभेन्यु फ्रेन्चाईजी के कार्य के लिए अपना पंजीकरण /एम्पैनेलमेन्ट (Empanelment) सीधे कम्पनी के वेबसाइट (hargharbijli.bsphcl.co.in) पर दिनांक–07.02.2020 से 28.02.2020 तक कर सकते हैं। उक्त अहर्ता प्राप्त व्यक्ति अपने जिला के एक प्रखण्ड (Block) के अन्तर्गत आने वाले सभी पंचायतों में अपने विकल्प (Preference) क्रमवार चयन कर सकते हैं। किसी पंचायत के लिए प्राप्त एक से अधिक व्यक्तियों के पंजीकरण की स्थिति में रूरल रेभेन्यु फ्रेन्चाईजी का चयन लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जायेगा।

जिन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल में पूर्व में रूरल रेभेन्यु फ्रेन्चाईजी कार्यरत हैं वे यथावत कार्य करते रहेंगे।

****